कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

क्रमांकः–ट्रस्ट–1/देव/2021/T-245 दिनांकः– 10/8/2021

सार्वजनिक सूचना

मंदिर श्री बालाजी महाराज घाटा मेहन्दीपुर बालाजी, तहसील सिकराय, जिला दौसा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के तहत एक पंजीकृत प्रन्यास है जिसके पंजीयन क्रमांक 243 दिनांक 8.3.1966 हैं।यह प्रन्यास वंशानुगत प्रथा का प्रन्यास नही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस प्रन्यास के प्रन्यासी किशोरपुरी का दिनांक 8.8.2021 को स्वर्गवास हो चुका है। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.5(5) देव/07 जयपुर दिनांक 16.11.2007 के अनुसार उक्त प्रन्यास पर राजस्थान लोक न्यास अधि0 1959 का अध्याय 10 लागू है।

यह प्रन्यास (मंदिर) देश भर में लाखों लोगो की आस्था का केन्द्र है, जहॉ मंगलवार एंव शनिवार को तथा उत्सवों /त्यौहारों कें दिनो में लाखों श्रृद्वालु दर्शनार्थ आते है। इस प्रन्यास के संवध में दर्शनार्थियों को होने वाली असुविधाओं और प्रन्यास के कुप्रवन्धन के सम्वन्ध में अनेको शिकायते प्राप्त होती रही है। उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण के कारण मन्दिर वन्द रहा है। मन्दिर खुलने पर दर्शनार्थीयों की संख्या में पुनः वृद्वि को देखते हुवे लोक हित में दर्शनार्थीयों के सुगम दर्शन, सुविधाओं के विकास, न्यास के वेहतर प्रबन्धन व सुप्रशासन को देखते हुवे राज्य सरकार द्वारा इस प्रन्यास पर राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 की धारा 53 के तहत कार्यवाही किये जाने का विनिश्चय किया गया है एवं इस हेतु धारा 53(5) एवं नियम 1962 के नियम 36 के तहत कार्यवाही की जा रही है।

यह कि राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 की धारा 53(5)में वर्णित है कि :–प्रबन्ध समिति के सभापति तथा सदस्यों को राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा :

(क) एक ही धर्म या धार्मिक विश्वास का प्रतिनिधित्व करने वाले तथा एक समान घ्येय रखने वाले लोग न्यासों के न्यासीयों में से तथा

(ख) ऐसे लोक न्यासों या उनके विन्यासे में हित रखने वाले व्यक्तियों अथवा जिस सम्प्रदाय के प्रयोजनार्थ या लाभार्थ न्यास की स्थापना की गई थी,उस समुदाय के व्यक्तियों में से ,

उक्त प्रकार से हित रखने वाले व्यक्तियों की सामान्य इच्छाओं के अनुसार जहॉ तक ऐसी इच्छाओं को विहित रीति से ठीक–ठीक पता लगाया जा सकता है,नियुक्ति करेगी।

किन्तु शर्त यह है की ऐसे लोक न्यास के सम्बन्ध में जिसका न्यासी अनुवांशिक हो तो ऐसा न्यासी तथा मठ के मामले में उसका अध्यक्ष प्रबन्ध समिति का सभापति होगा यदि वह अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिये तैयार है।

राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के नियम 1962 के नियम 36:– हित रखने वाले व्यक्तियों की इच्छाये मालूम करने की रीति :–

1. **धारा 53 की उपधारा (5)के अन्तर्गत हित रखने वाले व्यक्तियों की इच्छाये मालुम करने के लिए राज्य सरकार , सहायक आयुक्त को प्रबन्ध समिति के गठन के लिए , सुझाव मांगते हुए ऐसी रीति से , जिसे वह उपयुक्त समझे , एक सार्वजनिक नोटिस जारी करने का निर्देश देगी।**
2. **सहायक आयुक्त इस प्रकार प्राप्त हुए सुझावों को , अपनी टिप्पणी सहित , आयुक्त देवस्थान की मार्फत राज्य सरकार को प्रेषित करेगा।**

उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रन्यास मंदिर श्री बालाजी महाराज घाटा मेहन्दीपुर बालाजी तह0 सिकराय जिला दौसा के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की जांच कराये जाने पर सहायक आयुक्त (द्वितीय)देवस्थान विभाग जयपुर द्वारा प्रन्यास में व्याप्त अनियमितताऐं स्थापित होने के आधार पर राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 53 के तहत प्रबन्ध समिति गठित किये जाने की अनुशंषा की गई थी। राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक प 5(6)देव/2014 दिनांक 22.1.2020 से न्यास के खातों का विशेष अंकेक्षण कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। प्रन्यास को उक्त आदेश की पालना में इस कार्यालय द्वारा विशेष अंकेक्षण के लिए दिये गये निर्देशो के अनुसरण में अनेको नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी प्रन्यास द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड पेश नही किया और विशेष अंकेक्षण का शुल्क भी जमा नही

आकाश रंजन
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर

कराया गया। इस कार्यालय कें पत्र कमांक 239–240 दिनांक 6.8.2021 से प्रन्यास द्वारा अंकेक्षण में सहयोग प्रदान नही करने के कारण प्रन्यास मन्दिर के समुचित प्रबन्धन व मेहन्दीपुर बालाजी धार्मिक स्थल व आस–पास के व्यापक विकास एंव दर्शनार्थियों की सुविधा की दृष्टि से प्रबन्ध समिति गठन करने की अनुंशषा की गई ।

राज्य सरकार द्वारा आदेश कमांक प.05(06)देव/2014जयपुर दिनांक 10.8.2021 से प्रन्यास श्री बालाजी महाराज घाटा मेहन्दीपुर बालाजी तह0सिकराय जिला दौसा में राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 की धारा 53 के तहत प्रबन्ध समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया है। जिसकी पालना में आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर द्वारा आदेश कमांक एफ 5(13) न्याय /देव /2021/1877 दिनांक 10.8.2021 से अधिनियम की धारा 53(5)नियम 36 के तहत हितधारियों की इच्छाये/सुझाव आमंत्रित किये जाने के निर्देश दिये है।

अतः राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के नियम 1962 के नियम 36 के तहत उक्त प्रन्यास में हित रखने वाले व्यक्तियों से प्रबन्ध समिति गठन हेतु सुझाव/इच्छाऐ आमन्त्रित की जाती है। हितधारी व्यक्ति राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 55 के परिप्रेक्ष्य में अयोग्य न हो। उक्त सुझाव निम्न अधोहस्तारकर्ता के कार्यालय में दिनांक 17.08.2021 तक या इससे पूर्व अवश्य पहुॅच जाने चाहिये।

आकाश रंजन
सहायक आयुक्त (प्रथम)
o/c देवस्थान विभाग जयपुर

कमांकः– ट्रस्ट–1/देव/2021/ T-2116-261 दिनांकः– 10/8/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. श्री संयुक्त शासन सचिव महोदय देवस्थान विभाग को उनके पत्र कमांक प.05(06) देव/2014जयपुर दिनांक 10.8.2021 के कम में सूचनार्थ।
2. श्रीमान आयुक्त महोदय देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर उनके पत्र कमांक एफ5(13)न्याय/देव/2021/1877 दिनांक 10.8.2021 के कम में सूचनार्थ
3. कार्यालय जिला कलेक्टर महोदय जिला दौसा/करौली को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु
4. उपखण्ड अधिकारी सिकराय/दौसा/टोडाभीम को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु
5. तहसीलदार सिकराय/दौसा/टोडाभीम को दो अतिरिक्त प्रतियों में प्रेषित कर लेख है कि कार्यालय पर चस्पा कर एक प्रति मय तामिल रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजावे।
6. ग्राम पंचायत.. को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
7. श्री गोतम बनर्जी ए.सी.पी. देवस्थान विभाग को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना को विभागीय वेब साईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।
8. तामील कुनिन्दा कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि एक प्रति न्यास कार्यालय पर वं एक प्रति सार्वजनिक स्थान पर चस्पा कर एक प्रति बाद तामील इस कार्यालय में प्रस्तुत करे।
9. व्यवस्थापक/प्रन्यासी प्रन्यास मंदिर श्री बालाजी महाराज घाटा मेहन्दीपुर बालाजी तह0 सिकराय जिला दौसा को।
10. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा

सहायक आयुक्त (प्रथम)
o/c देवस्थान विभाग जयपुर